

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 653 राँची, गुरुवार,

16 भाद्र, 1938 (श॰)

7 सितम्बर, 2017 (ई॰)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना 7 सितम्बर, 2017

संख्या-एल॰जी॰-19/2017-108/लेज॰-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अध्यादेश जिस पर राज्यपाल दिनांक 7 सितम्बर, 2017 को अनुमित दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (झारखण्ड अध्यादेश संख्या- 03, 2017)

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) में संशोधन हेत् अध्यादेश।

प्रस्तावना:-

चूँिक, झारखण्ड राज्य की विधान-सभा सत्र में नहीं है और चूँिक, झारखण्ड राज्यपाल को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण राज्य के राजस्व संग्रहण हेतु संविधान की धारा- 246 के अन्तर्गत 7वीं अनुसूची की प्रवृष्टि 54 को प्रतिस्थापित करने के कारण तथा संविधान (101वा संशोधन) अिधनियम, 2016 दिनांक 8 सितम्बर, 2016

की धारा 17 (b)(ii) द्वारा निदेशित तथा झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (झारखण्ड अधिनियम संख्या 12, 2017) की धारा 174 के अधीन रक्षित होने के कारण झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) के कितपय विद्यमान प्रावधानों में संशोधन, विलोपन तथा प्रतिस्थापन हेतु तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है:-

इसलिए अब, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश को प्रख्यापित करते है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

- (i) यह अध्यादेश झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2017 कहा जा सकेगा ।
- (ii) यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा ।
- (iii) यह दिनांक 1 जुलाई, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त माना जायेगा ।
- 2. धारा-2 की निम्नांकित कंडिकाएं यथा- & (Vii), (x), (xiv), (xix), (xx), (xxi), (xxiA), (xxviii), (xxix), (xxxi), (xxxii), कंडिका (xlvii) की उपकंडिका (a), (b), (c) एवं (d), (xlvi) कंडिका की व्याख्या (xlvii), (liii), (lxiii) एवं (lxv) को विलोपित किया जाता है ।

3. (क) धारा-2 की कंडिका (xxii) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

'वस्तु' से अभिप्रेत है कि संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची- ॥ की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित वस्तुएं (ख) धारा-2 की कंडिका (xxii) में संशोधन:-

शब्द' वितरित किये जाने वाले माल' के पश्चात शब्द 'कार्य संविदा के निष्पादन, अवक्रय पर कोई माल परिदत्त करने या किस्तों द्वारा भुगतान की किसी पद्धति, किसी माल के उपयोग के अधिकार के अन्तरण या किसी सेवा के जरिए' को विलोपित किया जाता है।

(ग) धारा-2 की कंडिका (XXV) (i) में संशोधन:-

धारा-2 की कंडिका (xxv) (i) में शब्द "व्यवसायी के द्वारा "के पश्चात शब्द "जिसके अन्तर्गत कार्य संविदा के निष्पादन के लिए या किसी अविध विशेष के दौरान किसी प्रयोजन के लिए (चाहे विनिर्दिष्ट अविध के लिए हो या न हो) विलोपित किया जाता है।

4. निम्नांकित धाराएं, उपधाराएं एवं कंडिकाएं यथा- धारा-9 की उपधारा (1), (2), उपधारा (4) की कंडिका (ग), धारा-10 (इ), धारा- 11, धारा 12, धारा 13 की उपधारा (2) एवं (3), धारा 14, धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22, धारा 44, धारा 45, धारा 49 की उपधारा (2), धारा 58 एवं धारा 72 की उपधारा (1) को विलोपित किया जाता है।

5. धारा-10 B के रूप में एक नयी धारा का अन्तःस्थापन -

धारा-10 B अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम, 05, 2006) के साथ संलग्न संबंधित अनूसूची के साथ पठित धारा 13 की उपधारा-1 के संबंध में राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण कर सकती है जिसमें अधिसूचना में विर्निदिष्ट प्रक्रम या प्रक्रमों में वस्तुओं की बिक्री पर अथवा वस्तुओं के बिक्री के प्रक्रम या प्रक्रमों पर कर अधिरोपित कर सकती है जो 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

6. धारा-57 में संशोधन ।

धारा-57 को निम्नवत् संशोधित किया जाएगाः-

- (1) झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम, 05, 2006) के अन्य प्रावधानों के बावजूद, सरकार, यदि जनिहत में आवश्यक हो तो, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा व्यवसायियों के वर्ग को अथवा व्यक्तियों के वर्ग को बिक्री या क्रय किये गये किसी वस्तु के समूह को, कितपय शर्ते एवं बंधेज, जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी कर को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से भुगतान करने से विमुक्त कर सकती है । इस धारा के अन्तर्गत प्रकाशित होने वाली अधिसूचना पूर्वव्यापी अथवा भावी तिथि, इस अधिसूचना के भावी तिथि के बाद, से प्रभावी किया जा सकता है तथा उक्त विमुक्ति सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि अथवा उसमें विनिर्दिष्ट तिथि के प्रभाव से लागू होगा ।
- (2) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के बावजूद, वैसे अधिसूचनाओं में किसी व्यवसायियों के वर्ग को अथवा व्यक्तियों को क्रय और विक्रय पर विमुक्ति प्रदान की शक्ति है तो उक्त में वैसे अधिसूचनाओं को वापस लेने, रद्द करने, संशोधित करने अथवा विलोपित करने की शक्तियाँ भी निहित है।
- 7. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम, 05, 2006) के साथ संलग्न निम्नांकित अनुसूचियाँ यथा- अनुसूची I, अनुसूची II Part A,B,C,D एवं F अनुसूची- III एवं परिशिष्ट I को विलोपित किया जाता है ।

8. अनुसूची- II Part E में संशोधन-

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम, 05, 2006) के साथ संलग्न अनुसूची- II Part E को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

1	2	3	4
क्र॰सं॰	वस्तु का नाम	कर-दर	शन्ते एवं बंधेंज
1	ए॰टी॰एफ॰	4 प्रतिशत	उक्त कर आयातक द्वारा बिक्री के समय पर लगाया जाएगा, यदि माल
			राज्य के बाहर से आयात किया जा रहा
			है एवं तेल कम्पनी द्वारा बिक्री के
			समय पर खुदरा व्यवसायियों को अथवा
			उपभोक्ता को सीधे बिक्रय किया जा
			रहा है ।
2	हाई स्पीड डीजल आयल	22 प्रतिशत इस अधिसूचना के कालम-4 में विनिर्दिष्ट शर्त एवं बंधेज के आलोक में	 बिक्रय मूल्य पर 22 प्रतिशत की दर से अथवा रूपये 8.37 पैसे प्रति लीटर, जो भी अधिक हो से कर अधिरोपित किया जाएगा । उक्त कर आयातक द्वारा बिक्री के समय पर लगाया जाएगा, यदि माल राज्य के बाहर से आयात किया जा रहा है एवं तेल कम्पनी द्वारा बिक्री के समय पर खुदरा व्यवसायियों को अथवा उपभोक्ता को सीधे बिक्रय किया जा रहा है ।
3	मोटर स्प्रीट (सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में जात)	के कालम-4 में विनिर्दिष्ट शर्त	1. बिक्रय मूल्य पर 22 प्रतिशत की दर से अथवा रूपये 15.00 प्रति लीटर, जो भी अधिक हो से कर अधिरोपित किया जाएगा। 2. उक्त कर आयातक द्वारा बिक्री के समय पर लगाया जाएगा, यदि माल राज्य के बाहर से आयात किया जा रहा है एवं तेल कम्पनी द्वारा बिक्री के समय पर खुदरा व्यवसायियों को अथवा उपभोक्ता को सीधे बिक्रय किया जा रहा है।

4	भारत निर्मित	50 प्रतिशत	
	विदेशी शराब		
	सहित शराब		
5	देशी शराब	35 प्रतिशत	
6	प्राकृतिक गैसः	14 प्रतिशत	
	कोल बेड मिथेन		
	गैस सहित सभी		
	प्रकार		
7	कच्चा पेट्रोलियम	5 प्रतिशत	

- 9. व्यावृतियाँ- (1) झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (इसके बाद से 'उक्त संशोधन'अथवा 'संशोधित अधिनियम' से संदर्भित) में संशोधन से -
- (क) प्रभावी होने के समय कोई बात जो प्रवृत्त या विद्यमान नहीं है, वह प्नः प्रवर्तित नहीं होगी, या
- (ख) संशोधित अधिनियम के पूर्व की कार्यवाईयों तथा आदेश अथवा किये गये कार्य को प्रभावी नहीं करेगा, या
- (ग) निरसित अधिनियम के अंतर्गत अर्जित, प्रोदभूत या उपगत कोई अधिकार, स्वामित्व, बाध्यता या दायित्व जो निर्धारित तिथि के तत्काल पूर्व की अविध में किसी कार्य के फलस्वरूप घटित हुआ हो, प्रभावित नहीं होगा, या
- (घ) निरसित अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत किए गए किसी अपराध या उल्लंघन के संबंध में उपगत या अधिरोपित कोई कर, शास्ति, समपहरण या दण्ड प्रभावित नहीं होगा, या
- (इ) किसी अन्वेषण, जाँच, सत्यापन (संवीक्षा एवं अंकेक्षण सिहत) कर निर्धारण कार्यवाहियाँ, न्यायिक निर्णय एवं अन्य विधिक कार्यवाहियाँ या बकाये की वसूली या ऐसे कर, अधिभार, शास्ति, दण्ड, सूद, अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जब्ती या दण्ड जैसा कहा गया हो एवं ऐसे अन्वेषण, जाँच, सत्यापन (संवीक्षा एवं अंकेक्षण सिहत) कर निर्धारण कार्यवाहियाँ, न्यायिक निर्णय एवं अन्य विधिक

कार्यवाहियाँ या बकाये की वस्ती या अन्य उपाय स्थापित जारी या क्रियान्वित तथा ऐसे कर, अधिभार, शास्ति, दण्ड, सूद, जब्ती या सजा अधिरोपित या लगाए जा सकेंगे मानों झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम संशोधित नहीं किए गए हों।

- (च) यह उपर्युक्त संशेधित अधिनियम एवं ऐसे कार्यवाहियों के अन्तर्गत अपील पुर्नरीक्षणवाद, पुर्नविलोकन या संदर्भ को प्रभावित करेगा मानों यह अधिनियम प्रवृत नही हुआ हो एवं झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 को संशोधित नहीं किया गया हो।
- (2) उपधारा (1) में संदर्भित विशेष मामलों का उल्लेख बिहार एवं उड़ीसा जेनरल क्लाउजेज अधिनियम, 1917 की धारा 8 के सामान्य अनुप्रयोग के पूर्वाग्रह के बिना या निरसन के संदर्भ में लागू नहीं होंगे ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवास कुमार सिंह, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना 7 सितम्बर, 2017

संख्या-एल॰जी॰-19/2017-109/लेज॰-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 सितम्बर, 2017 को अनुमत **झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर** (संशोधन) अध्यादेश, 2017 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

Jharkhand Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2017 (Jharkhand Ordinance No. 03, 2017)

An Ordinance, to amend Jharkhand Value Added Tax Act 2005 (Jharkhand Act 05, 2006), in regard to its applicability and enforcement within the State of Jharkhand.

Preamble

Whereas the legislative Assembly of State of Jharkhand is not in session and. whereas the Governor of Jharkhand is satisfied that circumstances exist which render it necessary for revenue collection of the State, and as such, for him to take immediate action to levy tax on sale of goods, which is necessitated by substitution of entry 54 of the Seventh Schedule under Article 246 of the Constitution; and further directed by the section 17(b)(ii) of The Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, dated 8 September, 2016; and as saved in terms of section 174 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Jharkhand Act No. 12, 2017); and therefore, to amend and or delete and or substitute certain existing provisions and also to bring certain new provisions, into the Jharkhand Value Added Tax Act 2005 (Jharkhand Act 05, 2006).

Now, therefore, in exercise of power conferred by Clause (1) of Article 213 of Constitution of India, the Governor of Jharkhand is pleased to promulgate the following Ordinance:-

- 1. Short title, extent and commencement (i) This Ordinance may be called the Jharkhand Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2017.
 - (ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
 - (iii) It shall deemed to have come into force with effect from 1st day of July, 2017.

झारखण्ड गजट (असाधारण) गुरुवार, 7 सितम्बर, 2017

- 2. The following clauses of section 2: as clause (vii), (x), (xiv), (xix), (xxi), (xxi), (xxiA), (xxviii),(xxix),(xxxii),(xxxiii),sub-clause(a),(b),(c)and(d) of clause(xlvii),explanation of clause (xlvi), (xlvii), (liii), (liii), (lxiii) and (lxv) are hereby deleted.
- 3. (a) -The clause (xxii) of section 2, is hereby substituted in the following manner: -

'Goods'' means the goods included in Entry54 of List II of the seventh schedule to the constitution;

(b) Amendment in clause(xiii) of section 2 –

The words "executing works contract, delivering any goods on hire-purchase or any system of payment by instalments; transferring the right to use any goods" after the words "distributing goods" shall be deleted.

(c) Amendment in clause(xxv)(i) of section 2 -

The words "including the gross amount received or receivable for execution of works contract or for the transfer of right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period)" after the words "by a dealer" in clause (xxv) (i) of section 2 shall be deleted.

- 4. The following sections, sub-sections and clauses; as sub-section (1), (2), clause (c) of sub-section (4) of Section 9, Section 10(e), Section 11,Section12, sub-section (2), (3) of Section 13, Section 14, Section 16, Section 17, Section 18, Section 19, Section 20, Section 21, Section 22, Section 44, Section 45,Sub-section(2)of section49, Section58, sub-section (1) of Section 72 are hereby deleted.
- 5. Insertion of a new section as Section 10B

Section 10B. levy of additional tax-

Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of Section 13 which is read with the respective schedule appended to the Jharkhand Value Added Tax Act,2005 (Jharkhand Act 05, 2006) the State Government, by a Notification published in the Official Gazette, may levy an Additional Tax, with such conditions and restrictions, at such rate not exceeding five percent, on the sales of goods at such stage or stages of sales of goods, as specified in the said notification.

6. Amendment in section 57 –

Section 57 shall be substituted in the following manner: -

Section 57 - (1) Notwithstanding anything contained in the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act, 05, 2006) and subject of such conditions as it may impose, the Government may, if it is necessary to do so in the public interest, by a notification published in the Official Gazette, exempt any sales or purchases of any class of goods made to or by a class of dealer(s) or class of person or persons; with such conditions and restrictions, as may be specified in the said notification from payment of the whole or any part of any tax payable under the provisions of the said Act; and any notification issued under this section may be

issued so as to be retrospective or prospective to any date, not earlier than the date of effect of this Act, and such exemption shall take effect from the date of the publication of the notification in the Official Gazette or such other earlier or later date, as may be mentioned therein.

- (2) Notwithstanding anything contained in this Act, the power to exempt any sale or purchase to or by a class of dealers or persons specified in any such notifications thereof shall also include the power to withdraw, revoke, amend, alter or delete the said notification(s).
- 7. The following Schedules, as appended to the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act 05, 2006); as Schedule-I, Part-A, B, C, D and F of Schedule-II, Schedule-III and Appendix I are hereby deleted.

8. Amendment of Part E of Schedule-II

Part- E of Schedule-II of the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act 05, 2006) shall be substituted in the following manner:-

PART-E
(See sub-section (3) of Section 9 and sub-section (1) of Section 13

1	2	3	4
Sl no.	Name of Goods	Rate of Tax	Conditions and Restrictions
1.	Aviation Turbine Fuel	4%	The tax shall be levied at the point of sale by the importer: If the goods are imported from a place outside the State; and at the point of sale by the oil companies; to the retailer or direct to the consumer, if the goods are sold by these companies.
2.	High Speed Diesel Oil	22% Subject to the conditions and restrictions as specified in column 4 of this notification	 The amount of tax calculated @ 22% on the sale price or Rs. 8.37 per liter, whichever is higher, shall be levied The tax shall be levied at the point of sale by the importer; if the goods are imported from a place outside the State; and at the point of sale by the oil companies; to the retailer or direct to the consumer, if the goods are sold by these companies.
3.	Motor sprit (Commonly known as Petrol)	22% Subject to the conditions and restrictions as	1. The amount of tax calculated @ 22% on the sale price or Rs. 15.00 per liter, whichever is higher, shall be levied.

झारखण्ड गजट (असाधारण) गुरुवार, 7 सितम्बर, 2017

		specified in column 4 of this notification	1
4.	Liquors including IMFL.	50%	1
5.	Country liquors.	35%	
6.	Natural Gas: all varieties & description including Coal Bed methane Gas	14%	
7.	Petroleum Crude	5%	

- **9. Saving**. (1) The amendment of the Value Added Tax Act, 2005 (here after referred to as "such amendment" or "amended Act", as the case may be) shall not-
 - (a) revive anything not in force or existing at the time of such amendment; or
- (b) affect the previous operation of the amended Act and orders or anything duly done or suffered there under; or
- (c) affect any right, privilege, obligation, or liability acquired, accrued or incurred under the amended Act or orders under the amended Act; or
- (d) affect any tax, surcharge, penalty, fine, interest as are due or may become due or any forfeiture or punishment incurred or inflicted in respect of any offence or violation committed against the provisions of the amended Act; or
- (e) affect any investigation, inquiry, verification (including scrutiny and audit), assessment proceedings, adjudication and any other legal proceedings or recovery of arrears or remedy in respect of any such tax, surcharge, penalty, fine, interest, right, privilege, obligation, liability, forfeiture or punishment, as aforesaid, and any such investigation, inquiry, verification (including scrutiny and audit), assessment proceedings, adjudication and other legal proceedings or recovery of arrears or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such tax, surcharge, penalty, fine, interest, forfeiture or punishment may be levied or imposed as if the Value Added Tax Act had not been so amended;

- (f) affect any proceedings including that relating to an appeal, revision, review or reference, instituted before, on or after the appointed day under the said amended Act and such proceedings shall be continued under the said amended Act as if this Act had not come into force and the Value Added Tax Act, 2005 had not been amended.
- (2) The mention of the particular matters referred to in sub-section (1) shall not be held to prejudice or affect the general application of section 8 of the Bihar and Orissa General Clauses Act, 1917 with regard to the effect of repeal.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवास कुमार सिंह, प्रधान सचिव-सह-विधि परामशीं विधि विभाग, झारखंड, राँची।
